

उत्तर प्रदेश शासन  
संख्या-24/नौ-5-18-183बजट/2013  
लखनऊ: दिनांक 5 जनवरी, 2019

### शुद्धि-पत्र

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्वयन के अन्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद की सीवरेज योजना हेतु तृतीय पुनरीक्षित लागत के धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-457/2018-5274/नौ-5-2018-183बजट/2013 दिनांक 03.01.2019 के प्रस्तर-4 में त्रुटिवश लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-191-नगर निगमों को सहायता-0102-जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की योजनाओं हेतु सहायता-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" अंकित हो गया है। अतः इसके स्थान पर लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-नगर निगमों को सहायता-03-अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" समझा एवं पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2019 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।



(राधे कृष्ण)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 24 (1) /नौ-5-18-183बजट/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
- 3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
- 4- जिलाधिकारी, लखनऊ/फिरोजाबाद।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद।
- 7- मुख्य अभियंता, (आगरा क्षेत्र) उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 9- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 10- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 12- वित्त (ई-9) अनुभाग/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग- 3/4
- 13- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 14- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 15- सुपर यूजर/गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,



( राधे कृष्ण )

संयुक्त सचिव।